

## माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

फाइलिंग सं.-----/2012

मामला सं. -----/2012

### निम्नलिखित मामले में:

बहु वर्ष टैरिफ (इसे यहां इसके बाद "एआरआर" कहा गया है) संरचना के अंतर्गत व्हीलिंग बिजनेस के लिए वि.वर्ष. 2012-13 से 2014-15 हेतु सकल राजस्व अपेक्षा (इसे यहां इसके बाद "स.रा.अ." कहा गया है) और लागू टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका/आवेदन दायर करना। यह याचिका/आवेदन माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी (लंबित राजपत्र अधिसूचना) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन पारेषण लाइसेंसधारकों के रूप में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित वितरण लाइसेंसधारकों को विद्युत के अग्रेषण हेतु दायर किया गया है:-

1. बीएसईएस-यमुना पावर लिमिटेड
2. बीएसईएस-राजधानी पावर लिमिटेड
3. टाटा पावर-दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (पूर्व में एनडीपीएल)
4. एनडीएमसी
5. एमईएस

### निम्नलिखित मामले में:

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (यहां इसे इसके बाद ट्रांसको कहा गया है) जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002 है

.....याचिकाकर्ता उपर्युक्त याचिकाकर्ता सादर दर्शाता है:

1. दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के लागू उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली सरकार ने भूतपूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के सुधार और पुनर्संरचना का कार्य प्रारंभ किया। डीटीएल भूतपूर्व डीवीबी के पारेषण और थोक आपूर्ति कारोबार के प्रबंधन के लिए दिनांक 20.11.2001 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित स्थानान्तरण योजना के माध्यम से भूतपूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड के एक उत्तरवर्ती निकाय के रूप में बनाया गया।

बाद में दिनांक 28.06.2006 को, जीएनसीटीडी ने डीईआरसी को नीतिगत निर्देश जारी किए जिनमें निर्देश दिया गया कि ट्रांसको का थोक आपूर्ति कारबार दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से डिस्कॉम को सौंप दिया गया है। आयोग के आदेश दिनांक 31.03.2007 के तहत विद्यमान और आगामी परियोजनाओं के पीपीए/बीपीटीए को डिस्कॉम को सौंप दिया गया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में ट्रांसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में राज्य पारेषण सुविधा (एसटीयू) के रूप में पारेषण कारोबार कर रहा है।

2. डीटीएल ने दिनांक 20 अगस्त, 2007 को प्रथम नियंत्रण अवधि वि.वर्ष. 2007-08 से वि. वर्ष. 2010-11 के लिए कारोबार योजना के साथ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हेतु बिलिंग प्रभारों के निर्धारण के लिए अपनी ब.व.टै. याचिका दायर की थी जिसपर माननीय आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 20 दिसंबर, 2007 के तहत निर्णय दिया गया था (इसे यहां इसके बाद "ब.व. टै. टैरिफ आदेश" कहा गया है)।
3. माननीय आयोग द्वारा दिए गए ब.व.टै. आदेश से व्यथित होकर डीटीएल ने अपील सं. 28/2008, आई.ए. 61/2008 और 12/2010 में माननीय एटीई के समक्ष एक अपील दायर की। माननीय एटीई ने दिनांक 29 सितंबर, 2010 को एक निर्णय दिया जिसमें माननीय विनियामक आयोग को निर्देश दिया गया कि वर्तमान नियंत्रण अवधि के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना यथाशीघ्र अपीलार्थी के यथार्थीकरण (ट्रू-अप) कार्य को पूरा करें। एटीई के निर्णय के अनुसरण में डीटीएल ने पत्र सं. एफ. डीटीएल/203/एफ-1/10-11/ओपीआर. जीएम (कॉम.)/275 दिनांक 31 मार्च, 2011 के द्वारा आयोग के समक्ष वि.वर्ष. 2007-08 से वि.वर्ष. 2010-11 के लिए एक यथार्थीकरण याचिका दायर की। माननीय आयोग ने वि.वर्ष. 2011-12 के लिए एक सं. रा.अ. आदेश पारित करते हुए एटीई निर्णय के प्रभाव पर आंशिक रूप से विचार किया

अर्थात् इस दलील पर कि डीवीबी बकाया मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, डीवीबी बकायों को विचार में लिए बिना आदेश पारित किया। तथापि, इस अपील को अभी तक उच्चतम न्यायालय द्वारा गृहित नहीं किया गया है।

4. डीटीएल ने ब.व.टै. विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन वि.वर्ष. 2011-12 के लिए सकल राजस्व अपेक्षा ("स.रा.अ.") के अनुमोदन और पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को आयोग के समक्ष अपनी याचिका दायर की थी। माननीय आयोग ने वि.वर्ष. 2011-12 के लिए दिनांक 26.08.2011 को एक आदेश पारित किया। डीटीएल ने विशेषकर डीवीबी बकायों तथा ढुलाई लागत सहित 196.17 करोड़ रुपये की अधिशेष धनराशि की वसूली के संबंध में माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपील सं. 184/2011 में माननीय एटीई के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 111 (1) के अधीन एक अपील दायर की।

**(प्रति अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है)।**

5. माननीय आयोग ने पणधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए वि.वर्ष. 2012-13 से 2014-15 के लिए प्रारूप ब.व.टै. विनियम के संबंध में दिनांक 02.10.2011 को एक जन सूचना जारी की। बाद में, डीटीएल ने दिनांक 08.10.2011 को टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। माननीय आयोग ने सुनवाई करने के बाद, डीटीएल द्वारा विशेषकर इक्विटी पर आय (रिटर्न ऑन इक्विटी) के संबंध में उठाए गए मामलों पर कारणों का कथन दिए बिना दिनांक 2.12.2011 को ब.व.टै. विनियम जारी किया था जिसमें माननीय आयोग अपने प्रारूप विनियम से और वृद्धि कारक की संगणना के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के वास्तविक मान पर विचार किए जाने से भी विचलित हो गया। व्यथित होकर डीटीएल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर कर रहा है। अब डीईआरसी के निर्देशों के अनुसार, डीटीएल ब.व.टै. विनियम 2011 के आधार पर वि.वर्ष. 2012-13 से 2014-15 के लिए अपनी स.रा.अ. याचिका दायर कर रहा है।
6. यह कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान स.रा.अ. याचिका में संबंधित स्थानों पर पूर्वानुमानों का उल्लेख किया है, और विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग की व्यापार आचार नियमावली में माननीय आयोग के निर्देशों सहित विभिन्न लागू विधिक,

विनियामक निर्देशों और शर्तों, दिशानिर्देशों, पूर्व स.रा.अ., टैरिफ आदेशों और निबंधन और शर्तों के संबंध में हाल के विनियमों का अनुसरण करने का प्रयास किया है।

7. यह कि उपलब्ध सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने और अपनी सर्वोत्तम योग्यताओं से अपने दायित्वों का श्रमपूर्वक निर्वहन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है। तथापि, याचिकाकर्ता ऐसी अतिरिक्त सूचना दायर करने और परिणामस्वरूप, यदि इस माननीय आयोग द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है अथवा निर्देश दिया जाता है, आवेदन/याचिका में संशोधन/परिवर्तन करने की अनुमति चाहता है। याचिकाकर्ता इस याचिका को दायर करने के संबंध में ऐसी कोई भी अन्य तथा आगे और सूचनाएं प्रदान करने के लिए तैयार और इच्छुक है जिनकी माननीय आयोग को आवश्यकता हो अथवा जिनकी टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में इसकी हकदारी निर्धारित करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न हो।

#### प्रार्थना

उपर्युक्त के मद्देनज़र, डीटीएल प्रार्थना करता है कि माननीय आयोग कृपया:

- i) **प्रदान की गई सूचना के आधार पर वि.वर्ष.** 2012-13 से 2014-15 के लिए सकल राजस्व अपेक्षा हेतु याचिका को स्वीकार और अनुमोदित करें।
- ii) टैरिफ आदेश वि.वर्ष. 2012-13 से 2014-15 को जारी किए जाने से पहले अधिनिर्णित की जा रही समीक्षा/अपील/एसएलपी में डीटीएल द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे के होने पर उस पर विचार करें और वि.वर्ष. 2012-13 से 2014-15 के लिए स.रा.अ. का अनुमोदन करते समय इसके प्रभाव को विचारधीन रखें। यदि, टैरिफ आदेश को जारी किए जाने के बाद, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/एटीई/समीक्षा आदेश जारी किए जाते हैं, तो इनका तत्काल प्रभाव लागू होने की अनुमति प्रदान करें।
- iii) न्याय के हित में, यदि आवश्यकता हो, भविष्य में किसी तिथि को आवेदन में कुछ जोड़ने/फेर-बदल करने/परिवर्तन करने/संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।
- iv) ऐसा और कोई अन्य आदेश जारी करें जो माननीय आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र उपयुक्त और सही समझें।

अभिसाक्षी

## सूचकांक

खंड -I

	विवरण	पृष्ठ सं.
<b>भाग -I</b>	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए व्यवसाय योजना और एआरआर	8
(ए)	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की व्यवसाय योजना	8
	व्यवसाय योजना की समीक्षा: 2007-08 से 2010-11	9
	प्रस्तावित प्रमुख नई परियोजनाओं का विवरण	13
(बी)	वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता	19
1)	ओएवंएम व्यय	19
क)	आधार - वर्ष	19
ख)	मुद्रास्फीति की दर कारक का निर्धारण	20
ग)	कर्मचारी व्यय	21
घ)	एएवंजी व्यय	23
ङ)	मरम्मत और रखरखाव व्यय	24
च)	दक्षता कारक	25
2)	आस्तियों का पूंजीकरण	26
3)	विवरण	28
4)	कार्यशील पूंजी की वापसी	29
क)	कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता	29
5)	गैर प्रशुल्क आय	32
6)	व्यय और ब्याज शुल्क का पूंजीकरण	32
7)	बिजली के पारेषण/व्हीलिंग पर छूट	33
8)	आय कर प्रावधान	33
9)	पेंशन ट्रस्ट को भुगतान	33

<b>10)</b>	<b>वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)</b>	<b>34-36</b>
<b>भाग -II</b>	<b>अतिरिक्त बिजली खरीद देयता</b>	<b>37</b>
<b>भाग - III</b>	<b>अपील संख्या: 133/2007 एवं 28/2008 के अपीलीय आदेश का प्रभाव एवं दिनांक: 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश के अनुसार 196.17 करोड़ रुपए के अधिशेष का उपचार</b>	<b>38</b>
<b>क)</b>	<b>डीवीबी की बकाया राशि का उपचार</b>	<b>38</b>
	<b>याचिका के अनुलग्नक</b>	
<b>अनुलग्नक -I</b>	<b>एटीई से पहले दायर अपील सं. 184/2011 की प्रतिलिपि</b>	
<b>अनुलग्नक -II</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए व्यवसाय योजना</b>	
<b>अनुलग्नक -III</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए आस्तियों के पूंजीकरण का सारांश पत्रक</b>	
<b>अनुलग्नक -IV</b>	<b>दिल्ली के एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की सरकार का पत्र</b>	
<b>अनुलग्नक -V</b>	<b>डीपीसीएल का पत्र</b>	
<b>अनुलग्नक -VI</b>	<b>अतिरिक्त विद्युत क्रय देयता का विवरण</b>	
<b>अनुलग्नक -VII</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बैलेंस शीट</b>	

## खंड -II डीईआरसी एमवाईटी प्रारूप

तालिका सूची	पृष्ठ सं.
तालिका 1 पहली नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना की स्थिति	9
तालिका 2 वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए प्रस्तावित आस्ति पूंजीकरण योजना	10-12
तालिका 3 पूंजी निवेश योजना का सारांश	18
तालिका 4 पहली नियंत्रण अवधि के लिए वृद्धि कारक और वास्तविक सीपीआई/डब्ल्यूपीआई	20
तालिका 5 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए वृद्धि कारक	21
तालिका 6 कर्मचारी व्यय	22
तालिका 7 अन्य कर्मचारी व्यय का विवरण	23
तालिका 8 एक एवं जी व्यय	23
तालिका 9 वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 के लिए आर एवं एम व्यय	24
तालिका 10 पहली नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय	25
तालिका 11 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय	26
तालिका 12 पहली नियंत्रण अवधि के लिए आस्तियों का पूंजीकरण	27
तालिका 13 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए आस्तियों का पूंजीकरण	27
तालिका 14 पहली नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास	28
तालिका 15 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास	29
तालिका 16 पहली नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी	29
तालिका 17 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी	30
तालिका 18 कार्यरत पूंजी पर वापसी	31
तालिका 19 पहली नियंत्रण अवधि के लिए गैर प्रशुल्क आय	32
तालिका 20 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए गैर प्रशुल्क आय	32
तालिका 21 पहली नियंत्रण अवधि के लिए व्यय का पूंजीकरण	32
तालिका 22 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए व्यय का पूंजीकरण	33
तालिका 23 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए आयकर प्रावधान	33
तालिका 24 वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए डीटीएल का एआरआर	34-35
तालिका 25 वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए डीटीएल का एआरआर	36
तालिका 26 अतिरिक्त विद्युत क्रय देयता	37
तालिका 27 अतिरिक्त देयता का उपचार और अधिशेष का पुनः समायोजन	40
तालिका 28 डीवीबी बकाया राशि का उपचार	41

## **भाग-I**

### **वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए व्यवसाय योजना और एआरआर**

माननीय आयोग द्वारा पत्र संख्या: एफ.7(190)/एस/डीईआरसी/2010-11/5323 दिनांकित 2.12.2011 के निर्देशित अनुसार और पत्र संख्या: एफ.3(331)/टैरिफ/डीईआरसी/2011-12/3263/5787 दिनांकित: 16.01.2012 द्वारा दिए गए समय विस्तार के आधार पर डीटीएल ने व्यवसाय योजना (अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न) बनाई है और एमवाईटी 2011 विनियमन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एआरआर की गणना की है।

नीचे व्यवसाय योजना का एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है:-

#### **(क) वि.वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की व्यवसाय योजना**

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने एमवाईटी व्यवस्था के अंतर्गत माननीय आयोग के समक्ष 2007-11 की नियंत्रण अवधि के लिए अपनी पहली व्यवसाय योजना पेश की है, जिसमें विभिन्न प्रणालियों के सशक्तिकरण/संवर्धन योजनाओं को पूरा करने के लिए एक वर्षवार विस्तृत योजना शामिल है। पहली व्यवसाय योजना नियंत्रण अवधि यानि 2007-11 की अवधि 31 मार्च, 2011 तक थी। हालांकि, आयोग द्वारा अब इस नियंत्रण अवधि को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ा दिया गया है। इस नियंत्रण अवधि के दौरान बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए ले लिया गया है और इनमें से अधिकांश या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। डीटीएल के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने डीईआरसी विनियम के अनुसार, दूसरी नियंत्रण अवधि (2012-15) के लिए बहु प्रशुल्क टैरिफ ढांचे सहित वर्षवार व्यवसाय योजना पेश की है। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए आगामी लोड वृद्धि, डीडीए मास्टर प्लान, वितरण लाइसेंसधारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया, सरकारों के दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की प्रतिबद्धता आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का ध्यान रखते हुए एक व्यवसाय योजना को विकसित, संरचित और चरणबद्ध किया गया है। जबकि व्यवसाय योजना को विकसित करते समय, मौजूदा प्रणाली को मजबूत बनाने, इसके स्वचालन और नियमित उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में एक विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।



**व्यवसाय योजना की समीक्षा: वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक**

पहली व्यवसाय योजना 2260 करोड़ रुपये की कुल राशि और 2007-08 से 2010-11 तक की अवधि के लिए थी, जिसे अब आयोग द्वारा 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। 2011-12 के एक वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए 723.33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजी निवेश की योजना है जिसे आयोग द्वारा अपने एआरआर आदेश के माध्यम से वर्ष 2011-12 के लिए अनुमोदित किया गया है। पहली नियंत्रण अवधि के दौरान बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए ले लिया गया है और इनमें से अधिकांश या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। हालांकि डीटीएल के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका और अब इन्हें 2012-15 की नियंत्रण अवधि की व्यवसाय योजना में शामिल किया गया है।

मार्च, 2012 में नियंत्रण अवधि के अंत में पहली व्यवसाय योजना की अनुमानित स्थिति नीचे संक्षेप में दी गई है:

**तालिका 1: पहली नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना की स्थिति**

क्रम सं.		400केवी		220केवी		
		प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक 2007-11	वास्तविक विस्तारित अवधि
1.	सबस्टेशन	2	2	8	4	5
2.	एमवीए	1260	1260	3140	2260	2460
3.	टी/एलओएच	1.4	1.4	61.31	20.11	22.51
4.	यू/जी केबल	—	—	121.1	93.1	118.3

## तालिका: 2 वि.वर्ष 2012-13 से वि.वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित आस्तियों के पूंजीकरण की योजना

क्र. सं.	ट्रांसमिशन लाइन एवं संबंधित सबस्टेशन का नाम	लाइन लंबाई (सीकेटी.किमी.)/ एस/एस. सीएपी. (एमवीए )	वर्षवार पूंजीकरण		
			ईवाई 2012-13	ईवाई 2013-14	ईवाई 2014-15
क.	<b>400 केवी एस/स्टेशन</b>				
1	हर्ष विहार में (लोनी रोड के पूरब) 400/220/66केवी जीआईएस एस/स्टेशन की स्थापना।	3x315 एमवीए 3x160एमवीए	250		
2	मुंडका में संबंधित उपकरणों सहित 3सरी 315 ट्रांस. की ईटीसी	1X315 एमवीए	15.55		
3	मुंडका में एक अतिरिक्त के तौर पर 315 एमवीए ट्रांस. की ईटीसी	1X315 एमवीए		11	
	<b>कुल 400केवी एस/स्टेशन</b>		<b>265.55</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
ग.	<b>220 केवी सब स्टेशन</b>				
(क)	<b>नए कार्य</b>				
1	रोहिणी में 220/66केवी एस/स्टे. की स्थापना	2 x 160 एमवीए	61.67		
2	वजीरपुर में 220/33 केवी जीआईएस एस/स्टे. की स्थापना	2 x 100 एमवीए	67.19		
3	पीरागढ़ी में 220/33 केवी जीआईएस एस/स्टे. की स्थापना	2 x 100 एमवीए	90.37		
4	लोधी रोड़ पर वर्तमान 220/33 केवी स्विचयार्ड का जीआईएस में रुपान्तरण			90.98	
5	प्रतापगंज 220/66/33केवी ओ/डी स्विचयार्ड का जीआईएस में रुपान्तरण			94.64	
6	सब्जी मंडी 220 केवी स्विचयार्ड का जीआईएस में रुपान्तरण			36.91	
7	आईपी 220/33 केवी स्विचयार्ड का जीआईएस में रुपान्तरण			87.33	
8	गोपालपुर में 33केवी ओ/डी स्विचयार्ड का जीआईएस में रुपान्तरण			18.92	
9	पप्पनकला-III में 220/66 केवी जीआईएस एस/स्टे. की स्थापना	2 x 160 एमवीए		57.45	
10	तुगलकाबाद (एमईएस) में 220/33 केवी जीआईएस सब स्टेशन की स्थापना	2 x 100 एमवीए		80	
11	आरपीएच में 220/33 केवी जीआईएस सब स्टेशन की स्थापना	3 x 100 एमवीए		85	
12	आनंदविहार में 220/33 केवी जीआईएस सब स्टेशन की स्थापना	3 x 100 एमवीए			85
13	वर्तमान और नए एस/स्टे. पर सिविल कार्य		5	5	5
14	पंजाबी बाग, आरपीएच आदि में 220 केवी जीआईएस एस/स्टेशन के लिए भूमि लागत/ प्रारंभिक कार्य				30
	<b>नए कार्यों का योग (क्रम सं. 13 पर सिविल कार्यों को छोड़कर)</b>		<b>219.23</b>	<b>551.23</b>	<b>115</b>

(ख)	संवर्धन कार्य				
1	पीपीके-II पर तीसरा 160 एमवीए ट्रांसफार्मर	1X160 एमवीए	11		
2	64 सं. 100 एमवीए टैरिफ के लिए एनआईएफपीईएस की एस/ई/टी/सी		13.53		
3	सरिता विहार में तीसरे 100 एमवीए ट्रांस. की ईटीसी	1x100 एमवीए	8		
4	गाजीपुर में 1 x 220केवी बे की ईटीसी		1		
5	सरिता विहार में 4 x 66केवी बे की ईटीसी		2.4		
6	गाजीपुर में 1 x 66केवी बे की ईटीसी		0.6		
7	गाजीपुर में तीसरे 160 एमवीए ट्रांस. की ईटीसी	1x160 एमवीए		11	
8	वजीराबाद के दक्षिण में 2 x 220केवी एवं 3 x 66केवी बे की ईटीसी और बस बारों का ट्वीन से क्वाड में रूपांतरण			3.81	
9	कश्मीरी गेट पर 2 अदद 220 केवी फीडर बे			5.17	
10	मुंडका में तीसरे 160एमवीए ट्रांस. की ईटीसी	1X160 एमवीए		11	
11	रिज़ वैली में तीसरे 100एमवीए, 220/33 केवी की ईटीसी	1X100 एमवीए		11	
12	ओखला में 1 x 220केवी बे की ईटीसी			1	
13	बसंत कुंज में 6 x 66केवी बे की ईटीसी			3.6	
14	महरौली में 5 x 66केवी बे की ईटीसी			3	
15	गोपालपुर में अतिरिक्त 160एमवीए ट्रांस. की ईटीसी	1X160 एमवीए		11	
16	प्रतापगंज में दूसरे 50एमवीए ट्रांस. को 100 एमवीए ट्रांस. से स्थानांतरित करना	1X100-1X50			8
17	सब्जी मंडी में तीसरे 100 एमवीए 220/33केवी ट्रांस. की ईटीसी	1X100 एमवीए			8
18	शालीमार बाग में चौथे 100एमवीए ट्रांस. की ईटीसी	1X100 एमवीए			8
19	एआईआईएमएस में 2 x 220 केवी जीआईएस बे की ईटीसी				4
20	गोपालपुर में 2 x 66 केवी बे की ईटीसी				1.2
22	विविध ओ एवं एम कार्य		10	5	5
23	केंद्रीय नियंत्रण कक्ष			10	20
24	बमनौली और पीपीके-I में सब स्टेशन का ऑटोमोशन			10	10
25	पॉलीमर इंसुलेटरों द्वारा मौजूदा पोर्सलीन डिस्क इंसुलेटरों को स्थानांतरित करना		10	3	
	<b>संवर्धन कार्यों का योग</b>		<b>56.53</b>	<b>88.58</b>	<b>64.2</b>
	<b>220 केवी एस/स्टेशनों (नए + संवर्धन कार्यों) का योग</b>		<b>275.76</b>	<b>639.81</b>	<b>179.2</b>
घ.	<b>220 केवी लाइनें</b>				
(क)	<b>यू/जी कार्य</b>				
1	मुंडका से पीरागढ़ी तक डी/सी यू/जी	2x 13	125		
2	पीरागढ़ी से वजीरपुर तक डी/सी यू/जी	2 X10	90		

3	लोनी के पूरब से एसओडब्ल्यू तक डी/सी यू/जी	2x11		131.65	
4	बवाना से रोहिणी -II यू/जी सह ओ/एच लाइन द्वारा	2X5.25 + 2X0.85		17.43	
5	ओखला से मस्जिद मोड तक एस/सी यू/जी	1x6.5		55.46	
6	कश्मीरी गेट से सब्जी मंडी तक एस/सी यू/जी	1x4		27.99	
7	मुंडका में (केएनजे से मुंडकायू/जी तक) एनजीएफ-कांजीवाला के यू/जी द्वारा डी/सी लूप इन	2X 6		65	
8	पीपीके-I से पीपीके-II तक एस/सी यू/जी	1x6		46.55	
9	तुगलकाबाद (एमईएस) में एलआईएलओ महारौली - बीपीटीएस	2x2		20	
10	पार्क स्ट्रीट से इलेक्ट्रिक लेन तक एस/सी यू/जी	1x3.8		26.81	
11	कश्मीरी गेट से आरपीएच तक एस/सी यू/जी	1x4		28	
12	लोनी के पूरब से आनंद बिहार तक डी/सी यू/जी	2x 11			105
	यू/जी कार्यों का योग		<b>215</b>	<b>418.89</b>	<b>105</b>
(ख)	ओ/एच कार्य				
1	ओ/एच सह यू/जी द्वारा महारानी बाग से गाजीपुर तक डी/सी	2x8.5 + 2x0.5	21		
2	महारानी बाग में ओ/एच सह यू/जी व्यवस्था द्वारा प्रगति - सरिता विहार टी/एल के दूसरे सर्किट का एलआईएलओ	2x1.25 + 2x0.08	3.94		
3	पीपीके-III में बमनौली- नरैना टी/एल का एलआईएलओ	2x2		5	
	ओ/एच कार्यों का योग		<b>24.94</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	220 केवी लाइनों (ओ/एच एवं यू/जी) का योग		<b>239.94</b>	<b>423.89</b>	<b>105</b>
	220 केवी (लाइने एवं एस /स्टे.) का योग		<b>515.7</b>	<b>1063.7</b>	<b>284.2</b>
	क्रम सं. 13 के सिविल कार्य		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	कुल योग		<b>786.25</b>	<b>1079.7</b>	<b>289.2</b>
	2012 से 2015 का कुल योग			<b>2155.15</b>	

## प्रस्तावित प्रमुख नई परियोजनाओं का विवरण

### 1. 220केवी पार्क स्ट्रीट एस/स्टेशन का 400 केवी एस/स्टेशन में उन्नयन

कनॉट प्लेस, करोल बाग, पटेल नगर, पहाड़गंज, कमला मार्केट, अजमेरी गेट आदि वाणिज्यिक क्षेत्रों की बड़ी संख्या होने की वजह से सेंट्रल दिल्ली की बहुत घनी आबादी युक्त है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान (बिजली) लोड की आवश्यकताओं में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन बिजली की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक नया 400केवी या 220केवी सबस्टेशन बनाने के लिए कोई भी स्थान प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है। तदनुसार, डीटीएल ने सेंट्रल दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्रों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार्क स्ट्रीट में एक मौजूदा 220 केवी सब स्टेशन के 400केवी जीआईएस सब स्टेशन में उन्नयन का प्रस्ताव किया है। सब स्टेशन को 320 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से वर्ष 2016-17 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

### 2. ओखला में 400/220केवी इनडोर एस / स्टेशन

दक्षिण दिल्ली के क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ओखला में 400/220केवी इनडोर एस/स्टेशन की योजना का प्रस्ताव है। दक्षिण दिल्ली में बड़े पैमाने पर हो रहे ढांचागत विकास के कारण बिजली की आवश्यकताओं में बहुत ही उच्च दर से वृद्धि हो रही है लेकिन इस क्षेत्र में खाली भूमि की अनुपलब्धता के कारण, केवल एक मौजूदा 220केवी सब-स्टेशन के उन्नयन का विकल्प रह जाता है। तदनुसार, डीटीएल ने दक्षिण दिल्ली की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओखला में मौजूदा 220 एस/स्टेशन केवी को 400 केवी जीआईएस एस/स्टेशन में उन्नयन का प्रस्ताव किया है। एस/स्टेशन को 220 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2016-17 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

### 3. महारानी बाग से पार्क स्ट्रीट तक 400 केवी यू/जी केबल

पार्क स्ट्रीट में प्रस्तावित 400 केवी एस/स्टेशन को आपूर्ति (फीड) प्रदान करने के लिए, डीटीएल ने 400केवी महारानीबाग एस/स्टेशन से एक 400केवी भूमिगत केबल लिंक का प्रस्ताव दिया है। योजना को 250 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2016-17 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

### 4. पप्पनकलां III में 220/66 केवी एस/स्टेशन

योजना को दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों, विशेष रूप से द्वारका उप-नगरीय क्षेत्र की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और क्षेत्र के लोगों को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। योजना पश्चिम और 2 X160 एमवीए क्षमता के स्थापित

बिजली ट्रांसफॉर्मर के साथ इस योजना की लागत 57.45 करोड़ रुपए (लगभग) है। इस सबस्टेशन के लिए जमीन पहले से ही उपलब्ध है और यह वर्ष 2013-14 में पूरी हो जाएगी।

#### **5. तुगलकाबाद में 220/66 केवी जीआईएस एस/स्टेशन**

ओखला में गंभीर रूप से भारित सब स्टेशन को राहत देने और तुगलकाबाद में वायु सेना स्टेशन/एमईएस तथा दक्षिण दिल्ली क्षेत्रों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुगलकाबाद/संगम विहार में, 2 x 100 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता वाले एक नए एस/स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। योजना की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये (लगभग) है। इस परियोजना को वर्ष 2013-14 में पूरा किया जाना निर्धारित है।

#### **6. राजघाट पावर हाउस (आरपीएच) पर 220/33 केवी जीआईएस एस/स्टेशन**

प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने राजघाट पावर हाउस को बंद करने का फैसला किया है। राजघाट के पावर हाउस को बंद करने पर बिजली की उपलब्धता में 100 मेगावाट की कमी आ जाएगी। वर्तमान में, कमला मार्केट, आंतरिक स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय के साथ दीवारों से घिरे शहरी क्षेत्र को आरपीएच से आपूर्ति (फीड) की जाती है। इन क्षेत्रों के लिए आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, राजघाट पावर हाउस में 3 x 100 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता युक्त, एक 220/33 केवी जीआईएस एस/स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना की लागत 85 करोड़ रुपए है और यह वर्ष 2013-14 में पूरी हो जाएगी।

#### **7. आनंद विहार में 220/33 केवी सब स्टेशन**

यह एस/स्टेशन भी व्यवसाय योजना 2007-11 का एक हिस्सा था और मार्च, 2011 से परे का विस्तार पूरा होने के साथ लोनी रोड के पूर्व में 400 केवी एस/स्टेशन से बिजली की निकासी के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह एस/स्टेशन 3 x 100 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता सहित आंतरिक (जीआईएस) प्रकार का होगा। इस एस/स्टेशन की अनुमानित लागत 85 करोड़ रुपये है और वर्ष 2014-15 में इसके पूरा होने की संभावना है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण पिछली व्यावसायिक योजना में इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका।

#### **8. संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर (जीआईएस) में 220/66 केवी एस/स्टेशन**

उत्तरी दिल्ली की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसजीटी नगर में 2 x 160 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता वाला नया एस/स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। योजना की

अनुमानित लागत 85 करोड़ रुपये (लगभग) है। यह परियोजना वर्ष 2015-16 में पूरी हो जाएगी।

#### **9. पंजाबी बाग :जीआईएस, में 220/66 केवी एस/स्टेशन**

राजा गार्डन में विशाल सिनेमा परिसर के पास एक विशाल ढांचागत विकास हुआ है, जहां पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में मॉलों का निर्माण हो चुका है और कई निर्माण के तहत हैं। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ गई है। बिजली की इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए आस-पास 220केवी क्षमता का कोई सब-स्टेशन नहीं है। इसलिए पश्चिमी दिल्ली सहित पंजाबी बाग, ईएसआई अस्पताल और राजा गार्डन/विशाल एंक्लेव में बनने वाले वाणिज्यिक परिसरों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में एक 220केवी सब-स्टेशन आवश्यक हो गया है। तदनुसार, पंजाबी बाग/राजा गार्डन में 2x160 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता का एक नया एस/स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। योजना की अनुमानित लागत 85 करोड़ रुपये (लगभग) है। अगर भूमि का आवंटन हो जाए तो यह परियोजना वर्ष 2015-16 में पूरी हो जाएगी।

#### **10. बुडेला-II एस/ स्टेशन में 220 केवी एस/ स्टेशन (जीआईएस)**

नजफगढ़ और मुंडका के बीच आउटर रिंग रोड से परे और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत घनी आबादी है। हालांकि, इस पट्टी में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई 220केवी सबस्टेशन नहीं है। नजफगढ़ में 220केवी सबस्टेशन पहले से ही संतृप्त है और खुद इसे कुछ राहत की जरूरत है। तदनुसार, बुडेला-II में 2 x 160 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता के एक नए एस/स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। योजना की अनुमानित लागत 85 करोड़ रुपये (लगभग) है। यह परियोजना वर्ष 2015-16 में पूरी हो जाएगी। यह सब स्टेशन बुडेला-II में बीआरपीएल के मौजूदा 66केवी ग्रिड में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

#### **11. दीवारों से घिरे शहरी क्षेत्र में 220/66 केवी सब स्टेशन**

दीवारों से घिरे शहरी क्षेत्र की विद्युत भार (लोड) की आवश्यकता को पूरा करने और बिजली की विश्वसनीयता को सुधारने के लिए, दीवारों से घिरे शहरी क्षेत्र में 2 x 100 एमवीए की क्षमता संचारण के एक नए एस/स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। योजना की जांच लागत 80 करोड़ रुपये (लगभग) है। यह परियोजना वर्ष 2015-16 में पूरी हो जाएगी।

**12. एआईएस का जीआईएस में रूपांतरण**

डीटीएल के कई 220केवी सबस्टेशन जिन्हें 70 के उत्तरार्द्ध में चालू किया गया था, माननीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अपने उपयोगी जीवन से अधिक चल चुके हैं। अतएव, निम्नलिखित सबस्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से एआईएस से जीआईएस के लिए परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

- क. लोधी रोड पर मौजूदा 220 एवं 66केवी यार्ड का जीआईएस में रूपांतरण
- ख. आईपी स्टेशन पर आईपी 220/33केवी स्विच यार्ड का रूपांतरण
- ग. सब्जी मंडी में 220 केवी स्विच यार्ड का जीआईएस में रूपांतरण
- घ. ओखला में 220/66/33केवी स्विच यार्ड का जीआईएस में रूपांतरण
- ङ. प्रतापगंज में 220/66/33 केवी स्विच यार्ड का जीआईएस में रूपांतरण
- च. गोपालपुर में 33 केवी स्विच यार्ड का जीआईएस में रूपांतरण

**13. पप्पनकलां-I से पप्पनकलां-II तक एस/सी यू/जी केबल**

वर्तमान में, पप्पनकलां-I और साथ ही पप्पनकलां-I 220 केवी एस/स्टेशन रेडियल मोड में है। इन एस/ स्टेशनों को दूसरी आपूर्ति (फीड) देने के लिए पप्पनकलां-I से पप्पनकलां-II के बीच एक एकल सर्किट यू/जी सर्किट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना की अनुमानित लागत 46.55 करोड़ रुपए है। योजना वर्ष 2013-14 में पूरी हो जाएगी।

**14. तुगलकाबाद (एमईएस) में एलआईएलओ महारौली – बीटीपीएस**

तुगलकाबाद (एमईएस) में तुगलकाबाद (एमईएस) को आपूर्ति (फीड) करने के लिए एलआईएलओ महारौली –बीटीपीएस की योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है। यह योजना वर्ष 2013-14 में पूरी हो जाएगी।

**15. कश्मीरी गेट से आरपीएच तक एस/सी यू/जी**

कश्मीरी गेट से आरपीएच सब/स्टेशन को आपूर्ति करने के लिए कश्मीरी गेट से आरपीएच तक एस/सी यू/जी एक्सपीएलई केबल की योजना बनाई गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपए है। यह योजना वर्ष 2013-14 में पूरी हो जाएगी।



**16. हर्ष विहार (लोनी रोड के पूरब) से आनंद विहार तक डी/सी यू/जी केबल**

प्रस्तावित 400 केवी हर्ष विहार एस/स्टेशन से 220 केवी वोल्टेज स्तर पर बिजली खाली करने के लिए, हर्ष विहार एस/स्टेशन से आनंद विहार एस/स्टेशन तक एक डी/सी यू/जी केबल बिछाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना की अनुमानित लागत 105 करोड़ रुपये है। यह योजना 2014-15 में पूरी हो जाएगी।

**17. बवाना से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक डी/सी यू/जी**

संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर सब-स्टेशन को आपूर्ति (फीड) करने के लिए बवाना से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर सब-स्टेशन तक डी/सी यू/जी एक्सपीएलई केबल बिछाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये है और यह 2015-16 में पूरी हो जाएगी।

**18. पंजाबी बाग में एलआईएलओ पीरा गढ़ी – वजीरपुर**

प्रस्तावित पंजाबी बाग एस/स्टेशन को आपूर्ति (फीड) करने के लिए पीरा गढ़ी – वजीरपुर लूप आउट में लूप के लिए डी/सी यू/जी एक्सपीएलई केबल के लिए योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये है और यह वर्ष 2015-16 में पूरी हो जाएगी।

**19. पीरा गढ़ी से बुडेला-II के लिए डी/सी यू/जी केबल**

बुडेला-II एस/स्टेशन को आपूर्ति (फीड) करने के लिए पीरा गढ़ी से बुडेला-II तक डी/सी यू/जी एक्सपीएलई केबल बिछाने की योजना प्रस्तावित है। इस योजना की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये है और 2015-16 में यह पूरी हो जाएगी।

**20. महारानी बाग में ओ/एच सह यू/जी व्यवस्था द्वारा प्रगति-सरिता विहार टी/एल के दूसरे सर्किट के लिए एलआईएलओ**

आरपीएच स्टेशन को बंद करने की वजह से, 130 मेगावाट तक की बिजली उपलब्धता कम हो जाएगी। दिल्ली की बिजली व्यवस्था में 130 मेगावाट के इस नुकसान से उबरने के लिए, प्रणाली अध्ययन (सिस्टम स्टडी) द्वारा प्रणाली का एक अध्ययन किया गया, जिससे पता चलता है कि महारानी बाग सब-स्टेशन प्रगति (आई.पी. एक्सटेंशन) – सरिता विहार लाइन की दूसरी सर्किट के

एलआईएलओ के साथ मौजूदा विन्यास की कमी से निपटा जा सकता है। इस योजना की अनुमानित लागत 3.94 करोड़ रुपए है। यह योजना वर्ष 2012-13 में पूरी हो जाएगी।

### 21. पीपीके-III में बमनौली – नारायणा टी/एल का एलआईएलओ

पप्पनकलां III एस/स्टेशन को आपूर्ति (फीड) करने के लिए पीपीके-III में बमनौली-नारायणा टी/एल के एलआईएलओ के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये है। यह योजना वर्ष 2013-14 में पूरी हो जाएगी।

### 22. एचटी एलएस संचालक द्वारा मौजूदा 220 केवी लाइन के ज़ेबरा संचालक (कंडक्टर) का स्थानांतरण

70 के उत्तरार्द्ध में चालू किए गए मौजूदा ज़ेबरा संचालक की एम्पीसिटी बढ़ाने के लिए, डीटीएल ने उच्च तापमान कम शिथिलता युक्त संचालक से मौजूदा ज़ेबरा संचालक को बदलने का प्रस्ताव किया है, जो उसी टॉवर के साथ संचरण लाइन की क्षमता को मौजूदा क्षमता से दो गुना तक बढ़ा देगा। डीटीएल ने चरणबद्ध तरीके से संचालक (कंडक्टर) के प्रतिस्थापन के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

तालिका 3: पूंजी निवेश योजना का सारांश (रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	कोष की वर्षवार आवश्यकता		
		ईवाई 2012-13	ईवाई 2013-14	ईवाई 2014-15
क.	400केवी कार्य			
i.	400 केवी एस/स्टे	53.5	11	13
ii.	400 केवी लाइनें	0	0	10
	योग 400 केवी एस/स्टे एवं लाइनें	53.5	11	23
ख.	220 केवी कार्य			
i.	220 केवी सब/स्टेशन	379.53	394.83	195.2
ii.	220 केवी लाइनें	268.94	244.89	154
	220 केवी का (लाइनें एवं सब/स्टेशन योग)	648.47	639.72	349.2
	कुल योग	701.97	650.72	372.2

**(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता**

एमवाईटी विनियम के अनुसार, एआरआर में निम्नांकित घटक शामिल हैं:

- क) परिचालन और रख-रखाव व्यय
- ख) नियोजित पूंजी पर लाभ
- ग) मूल्यह्रास,
- घ) कर व्यय
- ङ) गैर-टैरिफ आय, और
- च) अन्य व्यापारों से आय

**1) परिचालन और रख-रखाव व्यय:**

- क) आधार वर्ष
- वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए एमवाईटी विनियम 2007 के प्रावधानों के तर्ज पर पहले नियंत्रण अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष 06-07 को वित्तीय वर्ष 07-08 के लिए कुछ लागत तत्वों के संगणन मूल्य के लिए आधार वर्ष माना गया है।
- एमवाईटी विनियम 2007 के प्रावधानों के तर्ज पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुछ लागत तत्वों के संगणन मूल्य के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 को दूसरे नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आधार वर्ष माना गया है।
- ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए एमवाईटी विनियम के अनुसार, नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय निम्नांकित पद्धति का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है:

$$EMP_n + A\&G_n = (EMP_{n-1} + A\&G_{n-1}) * (INDX_n/INDX_{n-1})$$

- nवें वर्ष (INDX<sub>n</sub>) के लिए मुद्रास्फीति कारक का निर्धारण n वें वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के संयोजन का उपयोग कर निम्नांकित रूप में किया जाता है:

$$INDX_n = 0.55 * CPI_n + 0.45 * WPI_n$$

**(ख) मुद्रास्फीति कारक का निर्धारण:**

- ओ एवं एम व्यय के सूचीकरण के लिए प्रयुक्त मुद्रास्फीति कारक का निर्धारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, जो क्रमशः कर्मचारी व्यय और एएवंजी व्यय में योगदान देने के लिए अपेक्षित हैं, के संयोजन का उपयोग कर किया जाता है।
- चूंकि, सीपीआई घटक का मुख्यतः कर्मचारी व्यय की दिशा में योगदान माना जाता है और इस तरह श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (समग्र) के रूप में लिया गया है। डब्ल्यूपीआई घटक, ए एवं जी लागत से जुड़े हैं और इस तरह केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित सीपीआई (समग्र) से लिए गए हैं। एमवाईटी विनियम के अनुसार, कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय को मुद्रास्फीति आधारित सूचकांक से जोड़ा जाएगा जो तत्काल पिछले पांच वर्षों की मुद्रास्फीति सूचकांकों पर विचार करता है।
- सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई के वास्तविक मूल्यों पर आधारित, डीटीएल ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (समग्र) और वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 (वास्तविक, नवंबर 2011 तक) की अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई (समग्र) के मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की गणना की है।
- डीटीएल ने मुद्रास्फीति कारक  $n$ वें वर्ष ( $INDEX_n$ ) का निर्धारण, एमवाईटी विनियम में निर्दिष्ट सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के भारित औसत का उपयोग कर किया है। फिर मुद्रास्फीति कारक का उपयोग प्रत्येक वर्ष ( $INDEX_n / INDEX_{n-1}$ ) के लिए वृद्धि कारक की गणना के लिए होता है जिसका प्रयोग प्रत्येक नियंत्रण अवधि में कर्मचारी और ए एवं जी व्यय के निर्धारण के लिए होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

**तालिका 4: प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु सीपीआई/डब्ल्यूपीआई का वृद्धि कारक एवं वास्तविक मूल्य**

	(डब्ल्यूपीआई)	(डब्ल्यूपीआई) वृद्धि	(सीपीआई)	(सीपीआई) वृद्धि	सूचकांक (समेकित)	वृद्धि कारक
2005-06	104.47					
2006-07	111.35	6.59%	125		118.86	
2007-08	116.63	4.74%	132.75	6.20%	125.50	1.0559
2008-09	126.02	8.05%	144.83	9.10%	136.37	1.0866
2009-10	130.81	3.80%	162.75	12.37%	148.38	1.0881
2010-11	143.32	9.56%	179.75	10.45%	163.36	1.1010
2011-12	154.575	7.85%	192	6.82%	175.16	1.0722

- जैसा कि ऊपर तालिकाबद्ध है वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2011-12 के लिए सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई के वास्तविक मूल्य पर आधारित, डीटीएल ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई के मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की गणना की है और पिछले पांच वर्षों के लिए औसत वृद्धि को, दूसरी नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रत्येक वर्ष ( $INDX_n / INDX_{n-1}$ ) के लिए सूचकांकों और वृद्धि कारक की गणना के लिए विचार किया है, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:-

तालिका 4: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए वृद्धि कारक

वर्ष	डब्ल्यूपीआई में वृद्धि का अनुमान	डब्ल्यूपीआई का अनुमान	सीपीआई में वृद्धि का अनुमान	सीपीआई का अनुमान	सूचकांक (समेकित)	वृद्धि कारक
2011-12					175.16	
2012-13	6.80%	165.09	8.99%	209.25	189.38	1.0812
2013-14	6.80%	176.32	8.99%	228.06	204.78	1.0813
2014-15	6.80%	188.31	8.99%	248.55	221.45	1.0814

## ग) कर्मचारी व्यय

- वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए कर्मचारी व्यय अर्थात् 69.66 करोड़ रुपए (जैसाकि एआरआर 11-12 के आदेश में अनुमोदित है) है और तालिका 4 एवं 5 में उल्लेखित वृद्धि कारक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 की गणना के लिए उसकी वृद्धि की गई, अतिरिक्त मानवबल और अन्य अतिरिक्त भत्तों के कारण प्रभाव पर छठे वेतन आयोग के प्रभाव की गणना में विचार किया गया है। उस आधार पर, कर्मचारी व्यय की गणना, एआरआर 11-12 आदेश में अनुमोदित कर्मचारी व्यय पर विचार करते हुए किया गया है, छठे वेतन आयोग के कारण कर्मचारी व्यय के पुनरीक्षण का शेष प्रभाव अर्थात् 27.69 करोड़ रु. (2011-12 में माना गया), अन्य कर्मचारी व्यय को 2006-07 के आधार मूल्य और दक्षता कारक में शामिल नहीं किया गया है।
- दक्षता कारक को आधार कर्मचारी व्यय (छठे वेतन आयोग के प्रभाव के बिना) पर 2011-12 @ 1 % तक लागू किया गया है।
- अन्य कर्मचारी व्यय, जो वित्तीय वर्ष 2006-07 में आयोग द्वारा अनुमोदित आधार मूल्य के भाग नहीं थे, पर भी विचार किया गया है जिनमें बीमांकित मूल्यांकन (ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण), एलटीसी (उत्तर-पूर्व) व्यय, 220 किवा आईपी स्वीचयार्ड का कर्मचारी व्यय (डीटीएल द्वारा जनवरी 2010 में आईपीजीसीएल द्वारा लिया गया), अतिरिक्त एक्स-ग्रेशिया और पेंशन बकाया ट्रस्ट शामिल है।





तालिका 6: कर्मचारी व्यय

विवरण/वर्ष	वित्तीय वर्ष 06	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 13	वित्तीय वर्ष 14	वित्तीय वर्ष 15
वृद्धि कारक			1.0559	1.0866	1.0881	1.1010	1.0722	1.0812	1.0813	1.0814
कर्मचारी व्यय (ग')	52.02	69.66	73.55	79.92	86.97	97.66	118.15	127.74	138.13	149.37
अतिरिक्त जनशक्ति के कारण वृद्धि (@2%)					1.74					
अनुमति दी गई अतिरिक्त भत्ता (एआरआर 11-12 आदेश)				4.99	8.87	12.53#				
अनुमति दिया जाने वाला कर्मचारी व्यय	52.02	69.66	73.55	84.91	97.57	110.19				
एमवाईटी आदेश में वास्तविक रूप से अनुमति दी गई	48.31	53.95	56.19	76.59	67.05	69.83				
बकाया एवं संशोधित वृद्धि कारक के प्रभाव के खाते पर देय	3.71	15.71	17.36	8.32	30.52	40.36				
एआरआर 2011-12 आदेश में दिया गया बकाया (तालिका 25, 11-12 आदेश)			0.28	-12.44	44.19	34.13				
						22.15				
<b>* (क) छठे वेतन आयोग का सेस प्रभाव (एआरआर 11-12 आदेश मूल्य के अतिरिक्त)</b>	3.71	15.71	17.08	20.76	-13.67	-15.92	27.69			
(ख) कम-क्षमता का सुधार				0.62	0.67	0.74	0.80	1.28	1.38	1.49
(ग) एआरआर 11-12 आदेश में अनुमति दी गई कर्मचारी व्यय			56.47	64.16	111.23	103.96	122.93			
(घ) अन्य कर्मचारी व्यय				0.95	1.28	25.82	10.09	12.84	17.29	26.20
कुल कर्मचारी व्यय										
(ङ) = (क + + घ - ख) (*क (शुद्ध प्रभाव) केवल 11 - 12 के लिए) [वित्तीय वर्ष 12 तक]										
(ड़) = (ग' + घ - ख) वि.वर्ष 13 के आगे के लिए			56.47	64.49	111.84	129.04	159.91	139.30	154.04	174.08

तालिका 7:- अन्य कर्मचारी व्यय का विवरण

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अन्य कर्मचारी व्यय	0.95	1.28	25.82	10.09	12.84	17.29	26.20
एलटीसी (उत्तर पूर्व योजना)	0.95						
बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान और छुट्टी नकदीकरण)		1.28	1.98	3.2	5.44	9.79	18.60
220 किवा आईपी स्वीचयार्ड का कर्मचारी व्यय				1.89	1.50	1.50	1.50
एक्स ग्रेसिया					0.90	1.00	1.10
बकाया पेंशन ट्रस्ट ##			23.84	5.00	5.00	5.00	5.00

# तालिका 6 में वित्तीय वर्ष 11 में अनुमति प्राप्त (एआरआर आदेश) अतिरिक्त भत्ता अर्थात 12.53 करोड़ जो विशेष छुट्टी भत्ता के संबंध में अतिरिक्त 0.17 करोड़ रु. सहित है।

## पेंशन ट्रस्ट का दावा (तालिका 7) अनंतिम आधार पर है और जैसा कि यह मानक व्यय के अतिरिक्त है, यह भविष्य में पेंशन ट्रस्ट पर मांग के अधीन होगा।

कर्मचारी व्यय के पूंजीकरण पर याचिका में बाद में विचार किया गया है।

#### घ) एएवंजी व्यय:

- वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए एएवंजी व्यय, अर्थात 14.3 करोड़ रु. को आयोग द्वारा अनुमोदित माना गया है और वर्ष 2007-08 से आगे के लिए ए एवं जी व्यय में तालिका 4 एवं 5 में उल्लेखित वृद्धि कारक के अनुसार बढ़ोतरी हुई है।
- अन्य व्यय जो वित्तीय वर्ष 2006-07 में आयोग द्वारा अनुमोदित आधार मूल्य के भाग नहीं थे, भी विचार किए गए जिसमें विदेशी मुद्रा में कमी, कानूनी पुरस्कार व्यय, जमीन किराया आदि शामिल है।

तालिका 8 : एएवंजी व्यय (करोड़ रु. में)

	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 13	वित्तीय वर्ष 14	वित्तीय वर्ष 15
वृद्धि कारक		1.0559	1.0866	1.0881	1.1010	1.0722	1.0812	1.0813	1.0814
एएवंजी व्यय	14.3	15.10	16.41	17.85	19.66	21.07	22.79	24.64	26.65
जीआईएस स्टेशन की दिशा में अनुमति प्राप्त अतिरिक्त एएवंजी (एआरआर 2011-12 आदेश के अनुसार)				2.45					
अन्य व्यय			3	8.65	6.29				
कुल एएवंजी व्यय		15.10	19.41	28.95	25.95	21.07	22.79	24.64	26.65

याचिका में ए एवं जी व्यय के पूंजीकरण पर बाद में विचार किया गया है।



**ड.) मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय:**

- ट्रांसमिशन के लिए एमवाईटी विनियम के अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए रख-रखाव (आर एवं एम) व्यय का निर्धारण निम्नांकित फार्मूले के आधार पर किया जाना है:

$$R\&M_n = K * GFA_{n-1}$$

- जहां, 'K' एक स्थिरांक है (%) में व्यक्त) जो nवें वर्ष के लिए आर एवं एम लागत और सकल अचल संपत्तियों के बीच संबंध को शासित करता है।
- पहली नियंत्रण अवधि के लिए सकल अचल संपत्ति का संगणन, वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए जीएफए का वास्तविकीकरण मूल्य और वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए डीटीएल के वास्तविक संपत्ति पूंजीकरण एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अनंतिम के अनुसार किया जाता है जैसा कि तालिका 12 में नीचे दिया गया है।
- दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए सकल अचल संपत्ति का संगणन, वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रस्तावित संपत्ति पूंजीकरण के अनुसार किया गया है जो कि दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए डीटीएल की व्यापार योजना के अनुसार है।
- दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार, डीटीएल ने जनवरी 2010 में आई.पी. स्टेशन के 220 किलो वाट स्वीचयार्ड को लिया है। इसके कारण, 0.05 करोड़ रु. (तीन महीनों के लिए) का एक अतिरिक्त आर एवं एम पर वित्तीय वर्ष 2009-10 में विचार किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, 'K' का मूल्य 2.19 प्रतिशत माना गया है जो कि पिछले वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अनुमोदित मूल्य है।

**तालिका 9: वित्तीय वर्ष 07-08 से 14-15 के लिए आर एवं एम व्यय (करोड़ रु.)**

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जीएफए प्रारंभिक (वास्तविक पूंजीकरण)	922.98	990.22	1136.75	1231.47	1856.19	2762.62	3550.42	4632.07
आईपी एच/ओ टी/ओ के कारण अतिरिक्त आरएवंएम (2009-10 में तीन महीने के लिए आरएवंएम)			0.05					
K कारक	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
आर एवं एम व्यय	20.21	21.69	24.95	26.97	40.65	60.50	77.75	101.44
जीआईएस स्टेशन पर अतिरिक्त व्यय (एआरआर 2011-12 आदेश के अनुसार अनुमति प्राप्त)				3.957	3.957	3.957	3.957	3.957
कुल आरएवंएम व्यय	20.21	21.69	24.95	30.93	44.61	64.46	81.71	105.40

**(च) दक्षता कारक:** डीटीएल के पास पारम्परिक प्रकार के एसडिटीएन की अधिकतम संख्या है और उनमें से ज्यादा 25-30 वर्ष पुराने हैं। डीटीएल, एक चरणबद्ध तरीके से उसके अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में है और पूरे अपग्रेडेशन एवं साथ ही वर्तमान सब-स्टेशन के स्वचालन के लिए कम से कम 10 वर्ष की आवश्यकता है। आगे, विद्युत ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में अपील संख्या 28/2008 में आयोग को दक्षता कारक में पुनः विचार का निर्देश दिया है।

डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2008-09, वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए क्रमशः 2%, 3% और 4% की तदर्थ कमी की है। जो कि काफी उच्चतर पक्ष पर है, जबकि व्यय पहले से ही मानक आधार पर है इसलिए पुरानी प्रणाली और इस संबंध में एटीई के निर्णय को ध्यान में रखते हुए डीईआरसी से दक्षता कारक को 1 प्रतिशत की दर पर सीमित करने का निर्देश दिया गया है।

#### **ओएवंएम व्यय:-**

- पहले नियंत्रण अवधि के लिए परिचालन एवं रख-रखाव का सारांश व्यय नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

**तालिका 10:- पहले नियंत्रण अवधि के लिए ओएवंएम व्यय (करोड़ रु.)**

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर्मचारी व्यय (दक्षता कारक सहित)	56.47	64.49	111.84	129.04	159.91
ए एवं जी व्यय	15.10	16.41	17.85	19.66	21.07
आर एवं एम व्यय	20.21	21.69	24.95	26.97	40.65
ओ एवं एम व्यय	91.78	102.58	154.64	175.66	221.64
दक्षता कारक (ए एवं जी और आर एवं एम पर)		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
शुद्ध ओ एवं एम व्यय	91.78	102.20	154.21	175.20	221.02
जीआईएस पर अनुमति प्राप्त अतिरिक्त ए एवं जी (एआरआर वित्तीय वर्ष 2011-12 आदेश में अनुमोदित)	0	0	2.45	0	0
अन्य ए एवं जी व्यय	0	3	8.65	6.29	0
जीआईएस पर अनुमति प्राप्त अतिरिक्त आर एवं एम (एआरआर वित्तीय वर्ष 2011-12 आदेश में अनुमोदित)	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96
<b>कुल ओ एवं एम व्यय</b>	<b>91.78</b>	<b>105.20</b>	<b>165.31</b>	<b>185.45</b>	<b>224.98</b>

दूसरे नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

**तालिका 11: दूसरे नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय**

(करोड़ रु.)

	2012-13	2013-14	2014-15
कर्मचारी व्यय (दक्षता कारक सहित)	139.30	154.04	174.08
ए एवं जी व्यय	22.79	24.64	26.65
आर एवं एम व्यय	60.50	77.75	101.44
ओ एवं एम व्यय	222.59	256.43	302.17
दक्षता कारक (ए एवं जी और आर एवं एम पर)	1.00%	1.00%	1.00%
शुद्ध ओ एवं एम व्यय	221.76	255.41	300.89
जीआईएस पर अनुमति प्राप्त अतिरिक्त आर एवं एम (एआरआर वित्तीय वर्ष 2011-12 आदेश में अनुमोदित)	3.96	3.96	3.96
राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रशिक्षण व्यय	2.09	2.31	2.61
<b>कुल ओ एवं एम व्यय</b>	<b>227.81</b>	<b>261.68</b>	<b>307.46</b>

- डीटीएल, गैस इंसुलेटेड स्वीचगियर (जीआईएस) की आधुनिकतम ईएचवी तकनीक, पावर गुणवत्ता के अनुकूलन के लिए सबस्टेशन स्वचालन आदि के इस्तेमाल की प्रक्रिया में है जिसके लिए जनशक्ति को इन आधुनिकतम तकनीकों की विशिष्ट प्रशिक्षण देने की जरूरत है। आगे, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) ने भी जोर दिया है कि –

“संगठन को, निर्धारित प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों को पर्याप्त फंड आवंटित करना चाहिए। आरंभ में न्यूनतम 1.5 प्रतिशत का वेतन बजट प्रदान किया जा सकता है, संगठन की आवश्यकता के अनुसार इसे धीरे-धीरे 5 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।”

तदनुसार, डीटीएल ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण व्यय का प्रस्ताव दिया है और डीईआरसी से उस पर विचार करने का आग्रह किया है।

- संपत्ति पूंजीकरण:** वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए संपत्ति पूंजीकरण का विवरण वांछित प्रारूप में पहले से ही माननीय आयोग को जमा किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के सारांश सीट को भी वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम विवरण के साथ नत्थी किया गया है, जैसा कि **अनुबंध III** में है। वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान संपत्ति पूंजीकरण का विवरण भी नीचे दिया गया है।

तालिका 12: पहले नियंत्रण अवधि के लिए संपत्ति पूंजीकरण

(करोड़ रु.)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
भूमि	1	16.15	8.98	3.06	
पट्टे की भूमि				0	
भवन	1.03	4.76	0.53	2.67	
मीटर	1.53	0.01	0.12	0.04	
लाइन्स नेटवर्क	3.38	1.54	8.85	191.71	480.66
अन्य सिविल कार्य	21.81	3.7	32.24	14.82	10.00
संयंत्र एवं मशीनरी *	37.17	118.2	39.49	369.52	414.77
अन्य उपकरण	0.2	0.35	0.7	0.32	0.25
कम्प्यूटर	0.45	0.51	1.08	40.22	0.25
फर्नीचर	0.47	0.77	0.12	0.27	0.4
विभिन्न संपत्तियां	0.04	0.15	0.13	0.09	0.1
वाहन	0.02	0.41	1.3	0.71	
एससीएडीए	0.14	-0.02	1.18	1.29	
<b>कुल</b>	<b>67.24</b>	<b>146.53</b>	<b>94.72</b>	<b>624.72</b>	<b>906.43</b>

\* वर्ष 2009-10 के लिए संयंत्र एवं मशीनरी जिसमें डीटीएल द्वारा लिया गया 220 किलो वाट आई.पी. स्विच यार्ड संपत्ति का 9.49 करोड़ रु. शामिल है।

दूसरी नियंत्रण अवधि के दौरान पूंजीकृत जाने वाली संपत्ति का विवरण, दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए तैयार व्यापार योजना के अनुसार माना गया।

तालिका 13: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित संपत्ति पूंजीकरण (करोड़ रु.)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
लाइन्स नेटवर्क	239.94	423.89	105
अन्य सिविल कार्य	5.00	5.00	5
संयंत्र एवं मशीनरी *	541.31	650.81	179.2
कार्यालय उपकरण	0.5	0.6	0.7
कम्प्यूटर	0.25	0.4	0.5
फर्नीचर	0.6	0.7	0.75
विभिन्न संपत्तियां	0.20	0.25	0.35
<b>कुल</b>	<b>787.80</b>	<b>1081.65</b>	<b>291.50</b>

**3. मूल्यह्रास:** वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मूल्यह्रास की गणना, पहली नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी विनियम में निर्दिष्ट मूल्यह्रास की दर और पहली नियंत्रण अवधि के लिए संपत्ति पूंजीकरण पर विचार कर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 08-12 के लिए मूल्यह्रास का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 14: पहली नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास

(करोड़ रु.)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भूमि	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भवन	3.60%	1.05	1.15	1.25	1.30	1.35
मीटर	6.00%	0.05	0.10	0.10	0.11	0.11
लाइन्स नेटवर्क	3.60%	7.42	7.51	7.70	11.31	23.41
अन्य सिविल कार्य	1.80%	1.44	1.67	1.99	2.42	2.64
संयंत्र एवं मशीनरी	3.60%	19.62	22.41	25.25	32.61	46.73
कार्यालय उपकरण	6.00%	0.20	0.21	0.25	0.28	0.29
कम्प्यूटर	18.00%	0.31	0.40	0.54	4.26	7.90
फर्नीचर	6.00%	0.17	0.21	0.24	0.25	0.27
विभिन्न संपत्तियां	6.00%	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07
वाहन	18.00%	0.64	0.68	0.84	1.02	1.08
एससीएडीए	6.00%	3.05	3.05	3.09	3.16	3.20
<b>कुल</b>		<b>33.99</b>	<b>37.44</b>	<b>41.29</b>	<b>56.76</b>	<b>87.05</b>

दूसरी नियंत्रण अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मूल्यह्रास की गणना, तालिका 12 में दिए गए विवरण के अनुसार एमवाईटी विनियम 2011 में निर्दिष्ट मूल्यह्रास दर और संपत्ति पूंजीकरण पर विचार कर किया गया है। दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 15: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास

(करोड़ रु.)

विवरण	मूल्यहास की दर	2012-13	2013-14	2014-15
भूमि	-	0.00	0.00	0.00
पट्टे की भूमि	3.34%	0.33	0.33	0.33
भवन	3.34%	1.25	1.25	1.25
मीटर	5.28%	0.09	0.09	0.09
लाइन्स नेटवर्क	5.28%	53.36	70.88	84.84
अन्य सिविल कार्य	3.34%	5.15	5.32	5.48
संयंत्र एवं मशीनरी	5.28%	93.78	125.25	147.16
कार्यालय उपकरण	6.33%	0.33	0.37	0.41
कम्प्यूटर	15.00%	6.62	6.67	6.74
फर्नीचर	6.33%	0.32	0.36	0.40
विभिन्न संपत्तियां	6.33%	0.08	0.10	0.12
वाहन	9.50%	0.57	0.57	0.57
एससीएडीए	6.33%	3.38	3.38	3.38
<b>कुल</b>		<b>165.26</b>	<b>214.56</b>	<b>250.78</b>

4. नियोजित पूंजी पर लाभ – नियोजित पूंजी पर लाभ की गणना, एमवाईटी विनियम के अनुसार और श्रृण पर विचार कर किया जाता है: वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के वर्षों के दौरान संपत्ति पूंजीकरण पर 70:30 का इक्विटी अनुपात।

क) कार्यशील पूंजी आवश्यकता: पहली नियंत्रण अवधि के लिए डीटीएल की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना एमवाईटी विनियम 2007 के अनुसार की गई है और नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 16: पहली नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी

(करोड़ रु.)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
दो महीने के लिए प्राप्य	34.31	39.04	59.21	90.11	197.93
1 महीने के लिए ओ एवं एम व्यय	7.65	8.77	13.78	15.45	18.75
<b>कुल कार्यशील पूंजी</b>	<b>41.95</b>	<b>47.81</b>	<b>72.98</b>	<b>105.56</b>	<b>216.68</b>

दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए, कार्यशील पूंजी की गणना एमवाईटी विनियम 2011 के अनुसार की गई है:-

**तालिका 17: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी (करोड़ रु.)**

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
दो महीने के लिए प्राप्य, एनएटीएएफ पर गणना किया गया	121.77	151.04	180.86
ओ एवं एम के 15 प्रतिशत की दर पर रख-रखाव फालतू पूर्जे	34.17	39.25	46.12
1 महीने के लिए ओ एवं एम व्यय	18.98	21.81	25.62
<b>कुल कार्यशील पूंजी</b>	<b>174.92</b>	<b>212.09</b>	<b>252.60</b>

- नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई- ROCE) की गणना, एमवाईटी विनियम के अनुसार नियमित दर आधार (आरआरबी- RRB) एवं भारित औसत पूंजी लागत (डब्ल्यूएसीसी- WACC ) पर विचार कर किया गया है, अर्थात्

$$\text{ROCE} = \text{RRB} * \text{WACC}$$

- डब्ल्यूएसीसी (WACC) की गणना, इक्विटी और ऋण की अंतिम मूल्य, इक्विटी पर लाभ की दर एवं ऋण पर लाभ की दर के आधार पर किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए, ऋण में शामिल है जीएनसीटीडी से 3452 करोड़ रु. की राशि का ऋण। हालांकि, पूंजी की भारित औसत लागत की गणना के उद्देश्य से, ऋण से इक्विटी में परिवर्तित 3452 करोड़ रु. की राशि को बाहर रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए, इक्विटी में जीएनसीटीडी का 239 करोड़ रु. का ऋण जो जीएनसीटीडी के दिनांक 16/07/10 की पत्र संख्या F.11 (28)/2005/Power Ot.I/937 के माध्यम से इक्विटी में परिवर्तित है एवं डीपीसीएल द्वारा 80 करोड़ रु. का इक्विटी इन्फ्यूजन (संदर्भित दस्तावेज क्रमशः अनुबंध IV & V में संलग्न है) शामिल है।



तालिका 18 :- नियोजित पूंजी पर लाभ

(करोड़ रु.)

विवरण	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 13	वित्तीय वर्ष 14	वित्तीय वर्ष 15
नियमित दर आधार	624.28	682.86	759.89	866.32	1209.59	2014.38	2693.59	3475.57	3969.99
अचल संपत्ति का मूल लागत	827.87	भरना नहीं है							
संचित मूल्यह्रास	269.48								
नियमित दर आधार में योग	65.89	33.25	109.09	53.43	567.96	819.38	622.54	867.09	40.72
वर्ष के दौरान निवेश (अचल संपत्ति में योग)	95.67	67.24	146.53	94.72	624.72	906.43	787.80	1081.65	291.50
मूल्यह्रास	29.77	33.99	37.44	41.29	56.76	87.05	165.26	214.56	250.78
Δ डब्ल्यूसी		41.95	5.86	25.17	32.57	111.12	-41.76	37.17	40.51
इक्विटी (बंद)	180.00	200.17	244.13	272.55	778.96	1050.89	1287.23	1611.73	1699.18
इक्विटी (औसत)		190.09	222.15	258.34	525.75	914.93	1169.06	1449.48	1655.45
ऋण (बंद)	3984.48	579.55	682.12	748.42	946.72	1581.22	2132.68	2889.84	3093.89
ऋण (औसत)		556.01	630.83	715.27	847.57	1263.97	1856.95	2511.26	2991.86
इक्विटी पर लाभ का दर		14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%
ऋण पर लाभ का दर		11.50%	11.50%	9.92%	10.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%
पूंजी का भारित औसत लागत(डब्ल्यूसीसी)		12.14%	12.16%	11.01%	12.08%	12.50%	12.44%	12.40%	12.39%
नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई)		82.90	92.40	95.38	146.12	251.80	335.08	430.97	491.88



5. गैर-टैरिफ आय: - पहली नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए गैर-टैरिफ आय, को नीचे दी गई विवरण के अनुसार लिया गया है:

तालिका 19: पहली नियंत्रण अवधि के लिए गैर टैरिफ आय

(करोड़ रु.)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	आकलन
गैर-टैरिफ आय	1.37	5.68	4.94	2.57	2.50

दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए गैर-टैरिफ आय (प्रोजेक्टेड) का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 20: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए गैर टैरिफ आय

(करोड़ रु.)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
	अनंतिम	अनंतिम	अनंतिम
गैर-टैरिफ आय	2.50	2.50	2.50

6) व्यय का पूंजीकरण-कर्मचारी व्यय, पहली नियंत्रण अवधि में पूंजीकृत ए एवं जी व्यय का सारांश, नीचे की तालिका में दिया गया है:

तालिका 21: पहली नियंत्रण अवधि के लिए व्यय का पूंजीकरण

(करोड़ रु.)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 08-09	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12
1	कर्मचारी व्यय	8.50	13.68	2.63	22.57	32.74
2	ए एवं जी व्यय	1.50	2.42	0.46	3.98	5.78
	पूंजीकृत व्यय	10.00	16.09	3.09	26.55	38.52

दूसरी नियंत्रण अवधि के दौरान प्रस्तावित पूंजीकृत किया जाने वाला व्यय नीचे तालिकाबद्ध है :-

## तालिका 22: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए व्यय का पूंजीकरण

(करोड़ रु.)

क्रम संख्या	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
1	कर्मचारी व्यय	28.46	39.07	10.53
2	ए एवं जी व्यय	5.02	6.90	1.86
	<b>पूंजीकृत व्यय</b>	<b>33.46</b>	<b>45.97</b>	<b>12.39</b>

7) ट्रांसमिशन पर छूट/पावर की व्हीलिंग: डीटीएल ने डिस्काम को पावर की व्हीलिंग पर दिसम्बर, 2007 तक 1.81 करोड़ रु. की राशि का छूट और एमवाईटी विनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में 2.52 करोड़ के राशि की छूट दी है। डीटीएल ने एमवाईटी विनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से आगे के लिए व्हीलिंग शुल्क पर 2.50 करोड़ रु. का छूट भी प्रोजेक्ट किया है। डीईआरसी से एमवाईटी विनियम के प्रावधानों के अनुसार एआरआर में उसी को जारी मानने का आग्रह किया गया है।

8) आय कर प्रावधान: एमवाईटी विनियम 2011 के अनुसार, इक्विटी पर लाभ पर आय कर का प्रावधान है। कर दायित्व को एमवाईटी प्रावधानों (आईटी अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 115 जेबी) पर विचार करते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। यदि कर दायित्व, सामान्य प्रावधानों के अंदर आता है, डीटीएल को आगे के टैरिफ आदेश में इसकी वसूली करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए अनंतिम आय कर का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

## तालिका 23: दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए आय कर प्रावधान

(करोड़ रु.)

	2012-13	2013-14	2014-15
	<b>Prov.</b>		
इक्विटी पर लाभ पर आय कर	35.92	44.97	47.41

9) पेंशन ट्रस्ट को भुगतान: - डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए डीटीएल के एआरआर में 150 करोड़ रु. का एक अनंतिम एकमुश्त राशि प्रदान करने पर विचार किया है जो सिविल रिट याचिका (सी) संख्या 1698/2010 में अंतिम परिणाम पर निर्भर है। डीटीएल ने उस पर विचार किया है।



### 10. वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)

तालिका 24:- वित्तीय वर्ष 2007-2008 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए डीटीएल का एआरआर

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2007-08		वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10		वित्तीय वर्ष 2010-11		वित्तीय वर्ष 2011-12	
		एआरआर 11-12 आदेश में अनुमोदित	एआरआर याचिका	एआरआर 11-12 आदेश में अनुमोदित	एआरआर याचिका	एआरआर 11-12 आदेश में अनुमोदित	एआरआर याचिका	एआरआर 11-12 आदेश में अनुमोदित	एआरआर याचिका	एआरआर 11-12 आदेश में अनुमोदित	एआरआर याचिका
1	कुल ओ एवं एम व्यय	91.61	91.78	102.07	105.20	153.78	165.31	172.67	185.45	206.34	224.98
2	मूल्यह्रास	36.57	33.99	43.80	37.44	68.89	41.29	102.94	56.76	128.39	87.05
3	सेल/पावर की व्हीलिंग पर छूट	0	1.81		0		0		2.51	0	2.5
4	अन्य वस्तुएं										
क)	पहले की अवधि आय/व्यय		-1.65		-0.73		18.98		4.06		
ख)	एसएलडीसी आय का पहले अवधि आय, पहले की अवधि में शामिल		-0.04		0.02		0				
ग)	समाप्ति के तहत संपत्ति के लिए प्रावधान		4.61		4.89		0				
5	आरओसीई	89.76	82.90	107.66	92.40	185.86	95.38	296.44	146.12	386.27	251.80
6	कम: ए एवं जी और पूंजीकृत कर्मचारी व्यय	-2.84	-10.00	-9.3	-16.09	-43.06	-3.09	-20.25	-26.55	-9.83	-38.52
7	कम: गैर टैरिफ आय	-9.28	-1.37	-9.97	-5.68	-10.22	-4.94	-11.17	-2.57	-2.5	-2.50



8	राजस्व आवश्यकता	205.82	202.02	234.26	217.46	355.25	312.92	540.63	365.78	708.67	525.30
9	पहले की अवधि दायित्व के कारण अनुमति प्राप्त अतिरिक्त राशि (तालिका 27)									-156.04	183.52**
10	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एआरआर आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए एआरआर के पुनरीक्षण के कारण अनुमति प्राप्त अतिरिक्त राशि									484.95	484.95
11	पेंशन ट्रस्ट दायित्व									150.00	150.00
12	वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविकीकरण (याचिका के अनुसार)									0	-262.44*
13	डीवीबी बकाये का प्रभाव (पार्ट III के अनुसार)										1040.85
	कुल योग									1187.58	2122.18
	शुद्ध राजस्व आवश्यकता									934.60	

\* वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 262.44 करोड़ रु. का वास्तविकीकरण मूल्य, चालन लागत सहित है।

\*\* 183.52 करोड़ रु. के अतिरिक्त, डीटीएल को, 2011-12 में आयोग द्वारा गलत तरीके से बनाया गया 156.04 करोड़ रु. की वसूली पर ब्याज का अधिकार है। (तालिका 27)

**तालिका 25: वित्तीय वर्ष 2012-2013 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए डीटीएल का  
एआरआर**

(करोड़ रु.)

		2012-13	2013-14	2014-15
क्रम संख्या	विवरण	एआरआर याचिका	एआरआर याचिका	एआरआर याचिका
1	कुल ओ एवं एम व्यय	227.81	261.68	307.46
2	मूल्यहास	165.26	214.56	250.78
3	सेल/पावर की व्हीलिंग पर छूट	2.5	2.5	2.5
4	आरओसीई	335.08	430.97	491.88
5	कम: ए एवं जी और पूंजीकृत कर्मचारी व्यय	-33.46	-45.97	-12.39
6	कम: गैर टैरिफ आय	-2.50	-2.50	-2.50
7	आय कर प्रावधान	35.92	44.97	47.41
8	अन्य सुल्कों से राजस्व	0	0	0
9	राजस्व आवश्यकता	730.61	906.21	1085.14
10	अतिरिक्त पावर खरीद दायित्व (पार्ट- II के अनुसार)	3.78		
11	पहली नियंत्रण अवधि का वास्तविकीकरण (डीवीबी बकाये का प्रभाव सहित) (तालिका 24)	934.60		
12	कुल राजस्व आवश्यकता	1668.99	906.21	1085.14

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सकल राजस्व अपेक्षा रु. 1668.99 करोड़ है, जो एटीई/सीईआरसी आदि द्वारा टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के कारण अप्रैल 2007 से पहले की अवधि के लिए अतिरिक्त पावर खरीद दायित्व (भाग-II के विवरण के अनुसार) और पहली नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रु. 906.21 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 1085.14 करोड़ की सकल राजस्व अपेक्षा के वास्तविकीकरण (डीवीबी बकाया के प्रभाव युक्त) सहित है।

## भाग— II

**2002-07 के पहले की अवधि के लिए टैरिफ संशोधन के मद पर अतिरिक्त दायित्व**

डीटीएल, मार्च 2007 के पहले की अवधि के लिए सीपीयू के संशोधित बिजली खरीद बिल का भुगतान करने के लिए उपकृत है, जो एनटीपीसी, बीबीएमबी, एसजेवीएनएल एवं अन्य के संशोधित पावर लागत टैरिफ के लिए एटीई सीईआरसी का आदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (एचपीएसईबी) के पक्ष में एनआरपीसी द्वारा पारित मध्यस्थता निर्णय के अनुसार नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007-08 से 201-12 के दौरान उभरा है। चूंकि, ये सभी योग, डीटीएल द्वारा 01.04.2007 के पहले थोक बिजली खरीद के लेन-देन से संबंधित हैं, इनके लिए डीटीएल को संशोधित टैरिफ के रूप में फंड देने की जरूरत है। माननीय आयोग ने डिस्कॉम के टैरिफ आदेश में दिनांक 28 मई 2009 के “2007-08 के लिए वास्तविकीकरण और वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एआरआर पर आदेश” में 117.95 करोड़ रु. (डीटीएल को देय) का प्रावधान किया है और बाद में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एआरआर आदेश में इस संबंध में 235.27 करोड़ रु. का अनुमोदन किया है। हालांकि, डीटीएल ने 3.78 करोड़ रु. (सरचार्ज को छोड़ कर) का कुछ और संशोधित बिल प्राप्त किया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है। बिल के साथ डीटीएल के कथित अतिरिक्त दायित्व का वक्तव्य **अनुबंध VI** के रूप में संलग्न है।

**तालिका 26: अतिरिक्त बिजली खरीद दायित्व (करोड़ रु.)**

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	सीईआरसी द्वारा पारित संशोधित बिजली खरीद टैरिफ और विविध जनरेटिंग स्टेशन के पक्ष में अन्य फोरम	3.78

### **भाग –III**

**अपील संख्या:- 133/2007 एवं 28/2008 में पुनर्विचार संबंधी आदेश का प्रभाव एवं दिनांक 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश के अनुसार 196.17 करोड़ रु. के अधिशेष का प्रशोधन**

#### **क) डीवीबी बकाये का प्रशोधन:**

आयोग ने माना है कि डीईआर (टीएस) नियम 2001 के पद में वितरण कंपनियों द्वारा दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) को भुगतान किया गया निजीकरण अवधि से संबंधित प्राप्तियोग्य बकाये को डीटीएल का प्राप्तियोग्य माना जाना चाहिए और इसलिए, डीटीएल के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में समायोजित करना चाहिए। माननीय आयोग ने, वित्तीय वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए डीटीएल के एआरआर को पूरा करते समय होलिंग कंपनी द्वारा 210 करोड़ रु. की प्राप्ति विचार किया था। आगे, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए डीटीएल के टैरिफ आदेश में होलिंग कंपनी द्वारा 209 करोड़ रु. एवं एआरआर को पूरा करने के लिए दिनांक 20.12.2007 के डीटीएल के एमवाईटी आदेश में 218 करोड़ रु. की प्राप्ति (डीवीबी बकाया की राशि) पर विचार किया है। ट्रांसको, होलिंग कंपनी द्वारा इस मद में किसी भुगतान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जैसा कि माननीय एटीई ने डीईआर (टीएस) नियम 2001 के संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते समय दिनांक 13.01.2009 एवं 29.09.2010 के अपने आदेश के माध्यम से माना।

वित्तीय वर्ष 2006-07 (133/2007) के लिए थोक बिजली आपूर्ति के लिए दिनांक 22.09.2006 के टैरिफ आदेश के विरुद्ध और दिनांक 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश (28/2008) के विरुद्ध, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) द्वारा अपील अधिकरण के सामने अपील दायर किया गया था। डीटीएल ने माननीय आधिकरण से अनुरोध किया है कि ट्रांसको के लिए थोक आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के समय होलिंग कंपनी से समान की गैर-प्राप्ति के मद पर वास्तविकीकरण के लिए 637 करोड़ रु. का डीवीबी बकाया पर विचार किया जाय। माननीय बिजली अपील अधिकरण ने अपील संख्या

2007 के 133 में दिनांक 13.1.2009 के आदेश के माध्यम से मामले पर विचार किया है और नीचे दिया गया आदेश पारित किया है

*“विद्युत अपील अधिकरण ने आदेश दिया था कि अपील सफल होता है और आयोग डीटीएल द्वारा प्राप्त राशि को अपीलकर्ता के क्रेडिट में आने वाली राशि के रूप में नहीं माना जाएगा। निर्णय का प्रभाव कि चालन लागत और बाद के टैरिफ आदेश को वास्तविकीकरण के लिए दिया जाएगा”।*

और अपील संख्या 28/2008 में दिनांक 29.09.2010 के आदेश के माध्यम से:-

“डीवीबी बकाया के मुद्दे पर, इस अधिकरण ने अपील संख्या 133/07 में दिनांक 13.01.2009 के निर्णय में अपीलकर्ता के पक्ष में पहले ही आदेश पारित किया है। इसके बावजूद, राज्य आयोग ने अपने पहले के अभ्यास का अनुसरण करते हुए, वितरण कंपनी द्वारा वसूल किए गए डीवीबी से संबंधित पिछले बकाये पर विचार किया है और अपीलकर्ता के राजस्व के रूप में होल्लिंग कंपनी को प्रेषित किया है। यह सांविधिक ट्रांसफर योजना के प्रावधानों और साथ ही ऊपर उल्लेखित निर्णय में इस अधिकरण द्वारा रखी गई उक्ति के विपरीत है। राज्य आयोग के वकील के अनुसार, अधिकरण द्वारा दिनांक 13.01.2009 को पारित निर्णय की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई है और जैसे कि एक अनंतिम नहीं प्राप्त की गई है और इसलिए, उसके अनुपालन की जरूरत नहीं है। राज्य आयोग के वकील का यह तर्क अस्थिर है क्योंकि यह निर्धारित कानून है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील का केवल लंबित होना राज्य आयोग को इस अवलोकन के लिए समर्थ नहीं बनाएगा कि उन्हें अधिकरण के आदेश के पालन की जरूरत नहीं है। इसलिए, राज्य आयोग को इस मुद्दे से संबंधित अपीलकर्ता के दावा को अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

डीईआरसी से वित्तीय वर्ष 2008-11 के लिए वास्तविकीकरण और वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एआरआर याचिका में डीवीबी बकाये पर विचार करने का आग्रह किया गया था, लेकिन डीईआरसी ने उसे यह कहते हुए विचार नहीं किया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हालांकि, एटीई ने अपील संख्या 28 में स्पष्ट रूप से कहा है कि .....राज्य



आयोग के वकील का यह तर्क अस्थिर है क्योंकि यह निर्धारित कानून है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील का केवल लंबित होना राज्य आयोग को इस अवलोकन के लिए समर्थ नहीं बनाएगा कि उन्हें अधिकरण के आदेश के पालन की जरूरत नहीं है। इसलिए, राज्य आयोग को इस मुद्दे से संबंधित अपीलकर्ता के दावे को अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एआरआर आदेश में नकारात्मक चालन लागत के साथ 196.17 करोड़ रु. (दिनांक 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश के अनुसार) का अधिशेष समायोजित किया है। डीईआरसी का यह प्रशोधन, अस्थिर है क्योंकि यह अधिशेष केवल तभी आता है जब डीईआरसी ने डीवीबी बकाया का गलत प्रशोधन किया हो। डीवीबी बकाया के संबंध में डीटीएल के दावा को अनुमति देने की माननीय एटीई के निर्देश के बावजूद, डीईआरसी ने चालन लागत के साथ गतली से 196.17 करोड़ रु. काटा है जो कि वास्तविक रूप से डीवीबी बकाया के मुद्दे पर डीईआरसी द्वारा गलत प्रशोधन का परिणाम है।

तदनुसार डीटीएल ने तालिका 27 के अनुसार चालन लागत के साथ 196.17 करोड़ रु. को पुनः समायोजित किया है और डीवीबी बकाया के प्रभाव को नीचे तालिका 28 के अनुसार दिया गया है।

**तालिका 27: - अतिरिक्त दायित्व एवं अधिशेष के पुनः समायोजन का प्रशोधन  
(करोड़ रु.)**

	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	वित्तीय वर्ष 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2010- 11	वित्तीय वर्ष 2011-12
आरंभिक अंतर		207.45	231.31	257.91	287.57	164.60
वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित अधिशेष	<b>196.17</b>					
	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%
चालन लागत	11.28	23.86	26.60	29.66	33.07	18.93
अंतिम अंतर	<b>207.45</b>	<b>231.31</b>	<b>257.91</b>	<b>287.57</b>	<b>320.64</b>	<b>183.52</b>
पूर्व अवधि दायित्व के कारण अनुमति प्राप्त अतिरिक्त राशि (एआरआर 2011-12 आदेश के अनुसार)					-156.04	
अनुमति प्राप्त कुल अब					<b>164.60</b>	



तालिका 28 :- डीवीबी बकाया का प्रशोधन

(करोड़ रु.)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आरंभिक अंतर	0	113.15	236.01	322.14	520.82	603.97	673.43	750.87	837.22	933.50
वर्ष के दौरान योग	107	103.87	55.78	152.85	21.99					
वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए डीवीबी बकाया	107									
वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए डीवीबी बकाया		103.87								
वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए डीवीबी बकाया			55.78							
वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए डीवीबी बकाया				152.85						
वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए डीवीबी बकाया					218.16					
वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित अधिशेष					-196.17					
ब्याज का दर	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%
चालन लागत	6.15	18.99	30.35	45.83	61.16	69.46	77.44	86.35	96.28	107.35
अंतिम अंतर	113.15	236.01	322.14	520.82	603.97	673.43	750.87	837.22	933.50	1040.85

